



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20012021-224546
CG-DL-E-20012021-224546

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2021/पौष 29, 1942

No. 24]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2021/PAUSHA 29, 1942

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 26(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 5 मई, 2020 की अधिसूचना सा.का.नि. 323(अ) के आंशिक संशोधन में केन्द्र सरकार, एतद्वारा श्री सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को श्री एच. एन. अस्वथ, विकास सलाहकार (पत्तन), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए कोचीन पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2018-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS
(PHRD DIVISION)
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2021

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in partial modification of the Notification G.S.R. 323(E) dated the 5th May, 2020 of the Government of India, Ministry of Shipping, the Central Government hereby appoints Shri Sunil Kumar Singh, Adviser(Statistics), Ministry of Ports, Shipping and Waterways to be trustees on the Board of Trustees of the Cochin Port Trust for the period up to 31.03.2022 in place of Shri H. N. Aswath, Development Adviser (Ports), Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/1/2018-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 27(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 5 मई, 2020 की अधिसूचना सा.का.नि. 324(अ) के आंशिक संशोधन में केन्द्र सरकार, एतद्वारा श्री अरविंद चौधरी, आर्थिक सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को श्री संजय बंदोपाध्याय, अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए दीनदयाल पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2018-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2021

G.S.R. 27(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in partial modification of the Notification G.S.R. 324(E) dated the 5th May, 2020 of the Government of India, Ministry of Shipping, the Central Government hereby appoints Shri Arvind Chaudhary, Economic Adviser, Ministry of Ports, Shipping and Waterways to be trustees on the Board of Trustees of the Deendayal Port Trust for the period up to 31.03.2022 in place of Shri Sanjay Bandopadhyaya, Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/1/2018-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 28(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 5 मई, 2020 की अधिसूचना सा.का.नि. 321(अ) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्री भूषण कुमार, संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को श्री संजय कुमार, एस&एफ, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

- उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2018-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2021

G.S.R. 28(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the Notification G.S.R. 321(E) dated the 5th May, 2020 of the Government of India, Ministry of Shipping, the Central Government hereby appoints Shri Bhushan Kumar, Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways to be trustees on the Board of Trustees of the Jawaharlal Nehru Port Trust for the period up to 31.03.2021 in place of Shri Sanjay Kumar, AS&FA, Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

- The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/1/2018-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 29(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 5 मई, 2020 की अधिसूचना सा.का.नि. 319(अ) के आंशिक संशोधन में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्री संजय बंदोपाध्याय, अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को श्री भूषण कुमार, संयुक्त सचिव (पीपीपी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए मुंबई पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

- उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2018-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2021

G.S.R. 29(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in partial modification of the Notification G.S.R. 319(E) dated the 5th May, 2020 of the Government of India, Ministry of Shipping, the Central Government hereby appoints Shri Sanjay Bandopadhyaya, Additional Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways to be trustees on the Board of Trustees of the Mumbai Port Trust for the period up to 31.03.2022 in place of Shri Bhushan Kumar, Joint Secretary (PPP), Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/1/2018-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 30(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा(1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 10 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सा.का.नि. 297(अ) के आंशिक संशोधन में केन्द्र सरकार, एतद्वारा श्री एच. एन. अस्वथ, विकास सलाहकार (पत्तन), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को श्री रजत सच्चर, तत्कालीन वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 31.03.2021 तक की अवधि के लिए नव मंगलूर पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2018-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2021

G.S.R. 30(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in partial modification of the Notification G.S.R. 297(E) dated the 10th April, 2019 of the Government of India, Ministry of Shipping, the Central Government hereby appoints Shri H.N. Aswath, Development Adviser (Ports), Ministry of Ports, Shipping and Waterways to be trustees on the Board of Trustees of the New Mangalore Port Trust for the period up to 31.03.2021 in place of Shri Rajat Sachar, the then Senior Economic Adviser, Ministry of Shipping.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/1/2018-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 31(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 5 मई, 2020 की अधिसूचना सा.का.नि. 325(अ) के आंशिक संशोधन में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्री भूषण कुमार, संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को श्री संजय कुमार, एसएसएफए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए पारादीप पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2018-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2021

G.S.R. 31(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in partial modification of the Notification G.S.R. 325(E) dated the 5th May, 2020 of the Government of India, Ministry of Shipping, the Central Government hereby appoints Shri Bhushan Kumar, Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways to be trustees on the Board of Trustees of the Paradip Port Trust for the period up to 31.03.2022 in place of Shri Sanjay Kumar, AS&FA, Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/1/2018-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 32(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 15 सितंबर, 2020 की अधिसूचना सा.का.नि. 557(अ) के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा श्री संजय कुमार, एसएसएफए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को श्री विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन न्यास (पूर्ववर्ती कोलकाता पत्तन न्यास) के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2018-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2021

G.S.R. 32(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in supersession of the Notification G.S.R. 557(E) dated the 15th September, 2020 of the Government of India, Ministry of Shipping, the Central Government hereby appoints Shri Sanjay Kumar, AS&FA, Ministry of Ports, Shipping and Waterways to be trustees on the Board of Trustees of the Syama Prasad Mookerjee Port Trust (erstwhile Kolkata Port Trust) for the period up to 31.03.2022 in place of Shri Vikram Singh, Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/1/2018-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2021

सा.का.नि. 33(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 5 मई, 2020 की अधिसूचना सा.का.नि. 326(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा श्री अरविंद चौधरी, आर्थिक सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को श्री भूषण कुमार, संयुक्त सचिव (पीपीपी), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के स्थान पर दिनांक 31.03.2022 तक की अवधि के लिए वि"ाखापट्टणम पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है।

2. उक्त नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2018-एल]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2021

G.S.R. 33(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in partial modification of the Notification G.S.R. 326(E) dated the 5th May, 2020 of the Government of India, Ministry of Shipping, the Central Government hereby appoints Shri Arvind Chaudhary, Economic Adviser, Ministry of Ports, Shipping and Waterways to be trustees on the Board of Trustees of the Visakhapatnam Port Trust for the period up to 31.03.2022 in place of Shri Bhushan Kumar, Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

2. The said appointment shall come into force with immediate effect.

[F. No. LB-11013/1/2018-L]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.